हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

ग्यारहवां सत्र

सोमवार, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938(शक्)

2.00 बजे (अपराह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) तारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, सोमवार, 4 अप्रैल, 2016 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

3. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 31 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम(निर्वाचन) संशोधन नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:यु0डी0-ए(3)-7/2011-II दिनांक 11.02.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.02.2016 को प्रकाशित; और

(ii) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 279 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:यु0डी0-ए(3)-7/2011-I दिनांक 02.09.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.09.2015 को प्रकाशित ।

(2) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री,** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री गुलाब सिंह ठाकुर, "हाल ही में मण्डी जिला के जोगिन्द्रनगर क्षेत्र में आवारा कुत्तों द्वारा 250 लोगों को काटने तथा रेबीज (Rabies) से हुई व्यक्ति की मृत्यु" से उत्पन्न स्थिति की ओर **शहरी विकास मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016

(2016 का विधेयक संख्यांक 4)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(ii) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्यांक 6)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(iii) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्यांक 3)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(iv) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्यांक 5)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

6. <u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव</u> :

श्री महेश्वर सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में विपणन बोर्ड की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने तथा सब्जी मंडियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की नीति पर यह सदन विचार करे।"

शिमला-171 004 सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 2 अप्रैल, 2016 सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)